

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन नं ०६१२-२२१९५४५ (का०)
फैक्स नं०-०६१२-२२१८९००
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :-

12-11-2013

आवेदक श्री प्रकाश कुमार सिन्हा, पिता—श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, सा०—
एस०पी०—३४७ / ०५, सुब्रोतो पार्क, न्यू दिल्ली—१०, थाना—धौलाकुआँ, न्यू दिल्ली, वर्तमान
पता—सालिमपुर अहरा (बौलिया), कदमकुआँ, थाना—गाँधी मैदान, जिला—पटना से प्राप्त एक
एन०पी०बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञाप्ति वाद संख्या—
०९—३४० / २०११ कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त
कर सुनवाई की तिथि—१२.११.२०१३ निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक—१२.११.२०१३ को सुनवाई की गयी। सुनवाई के
क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे इंडियन एयर फोर्स, वेस्टर्न
कमाण्ड, न्यू दिल्ली में Wing Comander हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की
सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—८२२ / गो०, दिनांक—२८.०७.२०१२
द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है।
पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन पत्र को
अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, गाँधी मैदान द्वारा प्रतिवेदित किया गया
है कि वे इंडियन एयर फोर्स, वेस्टर्न कमाण्ड, न्यू दिल्ली में Wing Comander हैं। आवेदक के
पिता के नाम से शस्त्र अनुज्ञाप्ति सं०—८६१/९०९/TGS/MIRZAPUR, Patna O.D. No. 2307/84
पर धारित एक एन०पी०बोर रिवाल्वर सं०—७९५४०८ हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान—माल के
सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में
थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं
उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का
सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने
जान—माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम १९५९ की धारा १३, शस्त्र नियम १९६२ में निहित शब्दियों,
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा


230

उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री प्रकाश कुमार सिन्हा, पिता—श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, सा०—एस०पी०—३४७ / ०५, सुब्रोतो पार्क, न्यू दिल्ली—१०, थाना—धौलाकुआँ, न्यू दिल्ली, वर्तमान पता—सालिमपुर अहरा (बौलिया), कदमकुआँ, थाना—गाँधी मैदान, जिला—पटना को उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन०पी०बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञाप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री सिन्हा को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञाप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञाप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञाप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापत्र एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।